हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील मे जारी हुए
7/2/23	प्रार्थीगण की ओर से इजराय का प्रार्थना पत्र Adv श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा पेश किया इजराय प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर इजराय की पालना हेतु T.D.R सांगोद को पत्र जारी हो प्रा.पत्र पालना दि. 5.5.2023 को पेश हो। DS	
5/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी मय./अनु। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त/मीटिंग शिविर/मुख्यालय से बाहर/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 25/7/23 को पेश हो।	

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 223/18 तारीख दायराः– 30/8/18

बउनवान

छीतरलाल पुत्र कंवरलाल उम्र 70वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी–

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. जोधराज पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. धन्नालाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
5. कैलाशबाई पुत्री रामलाल पत्नी रामदयाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम डूंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. कान्तीबाई पुत्री रामलाल पत्नी नन्दलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
7. कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल पत्नी गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांकः– 6/12/2022

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा वादी, एवं श्री हरीश कुमार शर्मा व श्री सुशील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .... मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है किः–

2.....

अ. वादी के हक मे 1/2हिस्से की घोषणा एवं विभाजन व प्रतिवादी कम 1ता 4के हक मे
संयुक्त रूपसे 1/2हिस्से के खातेदार की घोषणा की जाती है, तथा राजीनामे मे वर्णित
वादी के हक मे हिस्से की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील
सांगोद के खाता स0 नई80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.61हेक्टर पूर्वी तरफ
का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पश्चिमी तरफ का 0.05हेक्टर व खसरा न0972 की
2.09हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78हेक्टर आराजी वादी के प्रथक विभाजन किये जाने की
घोषणा की जाती है।

ब. प्रतिवादी कम 1ता4 के संयुक्त हिस्से मे आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का
अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से
2.60हेक्टर पश्चिमी तरफ का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पूर्वी तरफ का 0.04हेक्टर
व खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा
न0 1018 की 1.63हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95
हेक्टर आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 4 के हक मे प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की
जाती है।

स. प्रतिवादी न07 व प्रतिवादी न0 5व6 ने अपने हिस्से का हक त्याग वादी व प्रतिवादी कम
1ता 4के पक्ष मे करने के लिए राजीनामा प्रस्तुत किया है, अतः इनके हिस्से तक हक त्याग
पंजीयन मे लगने वाले शुल्क वादी व प्रतिवादी कम 1ता4 से जमा करवाकर उक्त घोषणा
विभाजन के कम मे इन्द्राज दुरस्त कर खाते मे अमल दरामद किया जावे।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

–:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 223/18 तारीख दायरा:– 30/8/18

बउनवान

छीतरलाल पुत्र कंवरलाल उम्र 70वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी–

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. जोधराज पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. धन्नालाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
5. कैलाशबाई पुत्री रामलाल पत्नी रामदयाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम डूंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. कान्तीबाई पुत्री रामलाल पत्नी नन्दलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
7. कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल पत्नी गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थिति:–

वादी की ओर से :– श्री रमेश कुमार शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री हरीश कुमार शर्मा, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से:– श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट

2......

प्रतिलिपि
खण्ड अधिकारी
(कोटा)

दिनांकः— 6/12/2022

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया, कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है, जिनके सम्मलित खाते की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 74 के खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर, खसरा न0972 की 2.09हेक्टर, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर, खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69हेक्टर आराजी स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण का वंशवृक्ष निम्न प्रकार हैः—

कंवरलाल

रामलाल मृतक | छीतरलाल | कमला उर्फ पुष्पा

(रामलाल मृतक की संतान:) कैलाशबाई पुत्री | कान्तीबाई पुत्री | बद्रीलाल पुत्र | जोधराज पुत्र | धन्नालाल पुत्र | नरेन्द्र पुत्र

यहकि वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी ग्राम गुरायता की मृतक खातेदार कंवरलाल की पुश्तेनी आराजी होने से जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 मे कंवरलाल के वारिसान के नाम नामान्तरण स0 319 द्वारा कंवरलाल के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण 1ता6 के पिता रामलाल व प्रतिवादी न07 कमला उर्फ पुष्पा का नाम उत्तराधिकारी अनुसार फौती इन्तकाल खुलकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन होना चाहिए था, लेकिन राजस्व अधिकारियो की गलती से कंवरलाल के कैलाशबाई पुत्री एवं कमला पुत्री का नाम राजस्व रेकार्ड मे फौती इन्तकाल द्वारा गलत अंकन कर दिया, ज बकि मृतक कंवरलाल के एक मात्र पुत्री पुष्पाबाई ही वारिस है, जिसका नाम भी सहवन से दर्ज कर दिया गया है। कैलाशबाई नाम की कंवरलाल की कोई पुत्री नही है, राजस्व रेकार्ड वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित जमाबन्दी मे सुन्दरबाई बेवा रामलाल का नाम भी दर्ज है, लेकिन सुन्दरबाई की मृत्यु हो जाने से तथा उसके विधिक वारिस प्रतिवादी न0 1ता 6 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने से सुन्दरबाई को पक्षकार नही बनाया गया है, उसका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

प्रतिलिपि
अधिकारी
(कोटा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

यहकि वादी द्वारा अपने हिस्से व कब्जे एवं विभाजन के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे आराजी दर्ज नही होने की जानकारी बैंक से कृषि विकास के लिए ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से नकल लेने पर पटवारी हल्का द्वारा वादी के हिस्से व कब्जे अनुसार आराजी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने की जानकारी देने पर वादी को राजस्व रेकार्ड खाते मे गलत अंकन होन की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके सन्दर्भ मे वादी द्वारा तहसीलदार सांगोद के समक्ष नकल प्रस्तुत कर नकल मे हिस्सा का सही अंकन करने तथा इन्तकाल मे कैलाशबाई का गलत नाम दर्ज होने तथा पुष्पा के स्थान पर भी कमला पुत्री कंवरलाल का नाम गलत दर्ज होने से उक्त वाद वादी द्वारा सम्मानीय न्यायालय मे राजस्व रेकार्ड मे अंकन की शुद्धि कराने तथा हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। तथा वाद कारण वादी द्वारा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार महोदय से वादी का हिस्सा आराजी राजस्व रेकार्ड मे वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा दुरस्त करने तथा कैलाश पुत्री कंवरलाल का नाम हटाने तथा कमला के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम दर्ज करने की कहने पर उसके द्वारा भी एक माह पूर्व मना कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तथा प्रतिवादी कम 1ता6 द्वारा प्रतिवादीन08 से आराजी पर ऋण लेने के कारण उक्त आराजी पर रहन दर्ज होने से प्रतिवादी न08 को पक्षकार बनाया गया है, एवं प्रतिवादी न09 तहसीलदार सांगोद भूमिधारी होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के रूिद्व निमन आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता स0 74 के राजस्व रेकार्ड मे वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 1ता6 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी न07 कमला उर्फ पुष्पाबाई का हिस्सा 1/3 दर्ज करने की घोषणा की जावे, साथ ही कैलाशबाई का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे, व कमला के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम संशोधित करने की घोषण की जावे व मृतक सुन्दरबाई पत्नी रामलाल का नाम भी राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने की घोषण की जावे।

इस आशय का वाद पेश होने पर वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है, प्रतिवादीगण कम 1ता7 द्वारा वादी के वाद का कजवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, प्रतिवादीन09 राज्य सरकार द्वारा भी जवाब दावा पेश किया है, तथा राज्य सरकार को दावा स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आपत्ति व राजस्व की हानि नही होना प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीन08 प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धूलेट तहसील कनवास का रहन भार जमाबन्दी प्रदर्श

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

पी1 रहन भार हट जाने से वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) प्रतिवादी न08 का नाम डिलीट किये जाने का पेश किया है, जिसका नाम डिलीट किया गया है। एवं वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1ता7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। एवं वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार घोषणा व विभाजन की डिकी चाही गई है। जिसमे वादी व प्रतिवादी कम 1ता 7 के खाते व कब्जे की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर, खसरा न0972 की 2.09हेक्टर, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर, खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69हेक्टर आराजी, जिसमे प्रतिवादी कम 7 कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल ने अपने हिस्से 1/3 मे से 1/6 हिस्सा वादी को व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 4 को हक त्याग कर दे दिया है, एवं प्रतिवादी कम 5व6 के हिस्से को प्रतिवादी कम 5व6 ने अपने हिस्से को प्रतिवादीकम 1ता4 के हक मे हक त्याग कर दिया है, एवं कैलाशबाई पुत्री कंवरलाल का नाम गलत दर्ज है, कैलाशबाई कंवरलाल के कोई पुत्री नही है, जिसका नाम हटाया जावे।

वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4 ने राजीनामा अनुसार सम्पूर्ण आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर, खसरा न0972 की 2.09हेक्टर, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर, खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69हेक्टर आराजी, का वादी के हक मे 1/2 की घोषणा व विभाजन एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के हक मे संयुक्त रूपसे 1/2 की घोषणा व विभाजन किये जाने का राजीनामा प्रस्तुत किया है। वादी के हिस्से एवं विभाजन मे प्राप्त आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.61हेक्टर पूर्वी तरफ का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पश्चिमी तरफ का 0.05हेक्टर व खसरा न0972 की 2.09हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78हेक्टर आराजी व प्रतिवादी कम 1ता4 के संयुक्त हिस्से मे आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.60हेक्टर पश्चिमी तरफ का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पूर्वी तरफ का 0.04हेक्टर व खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1018 की 1.63हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95हेक्टर आराजी।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपरोक्त राजीनामा सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4 के पक्ष मे विभाजन अनुसार हिस्से की घोषणा की जाकर खाता प्रथक किये जाने तथा घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर अमल दरामद किया जावे, तथा राजीनामा अनुसार निर्णय कर सादर डिकी प्रदान की जावे।

यहकि उक्त प्रकरण मे मैने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी सुनी गई, बहस मे वादी ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के कथनो को दौहराते हुए राजीनामा अनुसार दावा डिकी किये जाने की प्रार्थना की।

उक्त प्रकरण मे पत्रावली के अवलोकन मे पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार जवाब दावा काउन्टर क्लेम, इकबाली जवाब काउन्टर क्लेम, वादी उपलब्ध है। इनसे यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आदेश दिया जाता है, कि वादी के हक मे 1/2हिस्से की घोषणा एवं विभाजन व प्रतिवादी कम 1ता 4के हक मे संयुक्त रूपसे 1/2हिस्से के खातेदार की घोषणा की जाती है, तथा राजीनामे मे वर्णित वादी के हक मे हिस्से की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.61हेक्टर पूर्वी तरफ का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पश्चिमी तरफ का 0.05हेक्टर व खसरा न0972 की 2.09हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78हेक्टर आराजी वादी के प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है, एव प्रतिवादी कम 1ता4 के संयुक्त हिस्से मे आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.60हेक्टर पश्चिमी तरफ का,खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पूर्वी तरफ का 0.04हेक्टर व खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1018 की 1.63हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95हेक्टर आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 4 के हक मे प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी न07 व प्रतिवादी न0 5व6 ने अपने हिस्से का हक त्याग वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4के पक्ष मे करने के लिए राजीनामा प्रस्तुत किया है, अतः इनके हिस्से तक हक त्याग पंजीयन मे लगने वाले शुल्क वादी व प्रतिवादी कम 1ता4 से

प्रतिलिपि अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

जमा करवाकर उक्त घोषणा विभाजन के कम मे इन्द्राज दुरस्त कर खाते मे अमल दरामद किया जावे, ,वाद व्यय वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4स्वयं वहन करेंगे। नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 6/12/2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)